

जुलाई-दिसंबर  
July-December

अंक : 100-101

2019

ISSN : 0976-0024

महिला  
Mahila

संविधान विशेषांक

# विधि भारती Vidhi Bharati

विधि चेतना की द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेजी) शोध पत्रिका  
Research (Hindi-English) Quarterly Law Journal

(केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंशिक अनुदान से प्रकाशित)



प्रधान संपादक  
सन्तोष खन्ना  
संपादक  
डॉ. उषा देव

पत्रिका में व्यक्त विचारों से सम्पादक/परिषद् की सहमति आवश्यक नहीं है।

Indexed at Indian Documentation Service, Gurugram, India

Citation No. MVB-25-26/2019 Impact Factor : 6.25



## विधि भारती परिषद्

बी.एच./48 (पूर्वी) शालीमार बाग, दिल्ली-110088 (भारत)

मोबाइल : 09899651872, 09899651272

फोन : 011-27491549, 011-45579335

E-mail : vidhibharatiparishad@hotmail.com, santoshkhanna25@gmail.com

Website : www.vidhibharatiparishad.in

## ‘महिला विधि भारती’ पत्रिका

विधि चेतना की द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेजी) विधि-शोध त्रैमासिक पत्रिका

**E-mail :** vidhibharatiparishad@hotmail.com

**Website :** www.vidhibharatiparishad.in

**अंक :** 100-101 (जुलाई-दिसंबर, 2019)

**प्रधान संपादक :** सन्तोष खन्ना, **संपादक :** डॉ. उषा देव

### बोर्ड ऑफ रेफरीज एवं परामर्श मंडल

1. डॉ. के.पी.एस. महलवार : चेयर प्रो., प्रोफेशनल एथिक्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, न.दि.
2. डॉ. चंदन बाला : डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, जयनारायण व्यास वि.वि., जोधपुर
3. डॉ. राकेश कुमार सिंह : डीन एवं विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ लॉ, लखनऊ विश्वविद्यालय
4. डॉ. किरण गुप्ता : पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय
5. न्यायमूर्ति श्री एस.एन. कपूर : पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली।
6. प्रो. (डॉ.) सिद्धनाथ सिंह : डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
7. प्रो. (डॉ.) गुरजीत सिंह : संस्थापक वाइस चांसलर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एवं न्यायिक अकादमी, असम
8. श्री हरनाम दास टक्कर : पूर्व निदेशक, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली

### परिषद् की कार्यकारिणी, संरक्षक : डॉ. राजीव खन्ना

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. डॉ. सुभाष कश्यप (अध्यक्ष)                    | 9. श्री जी.आर. गुप्ता (सदस्य)        |
| 2. न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर प्रसाद (उपाध्यक्ष) | 10. डॉ. उषा टंडन (सदस्य)             |
| 3. श्रीमती सन्तोष खन्ना (महासचिव)               | 11. डॉ. सूरत सिंह (सदस्य)            |
| 4. रेनू नूर (कोषाध्यक्ष)                        | 12. डॉ. के.एस. भाटी (सदस्य)          |
| 5. श्री अनिल गोयल (सचिव, प्रचार)                | 13. डॉ. शकुंतला कालरा (सदस्य)        |
| 6. डॉ. प्रवेश सक्सेना (सदस्य)                   | 14. डॉ. एच. बालसुब्रह्मण्यम् (सदस्य) |
| 7. डॉ. आशु खन्ना (सदस्य)                        | 15. डॉ. उमाकांत खुवालकर (सदस्य)      |
| 8. डॉ. पूरनचंद टंडन (सदस्य)                     | 16. अनुरागेंद्र निगम (सदस्य)         |

### शुल्क दर

वार्षिक शुल्क 500/-- रुपए

आजीवन शुल्क 5,000/-- रुपए

इस अंक का मूल्य 250/-- रुपए

संस्थागत वार्षिक शुल्क 500/-- रुपए

संस्थागत आजीवन शुल्क 20,000/-- रुपए

डाक शुल्क अलग

(ii) : : भारत का संविधान : वर्तमान परिप्रेक्ष्य

## अंक 100-101 में

1. संपादकीय
2. संस्कृति का भारतीय परिप्रेक्ष्य और भारत का संविधान / सन्तोष खन्ना -- 1
3. भारत का संवैधानिक विकास / रमेश चंद -- 8
4. वेद और भारतीय संविधान / डॉ. प्रवेश सक्सेना -- 13
5. अनुच्छेद 370 के संशोधन का प्रश्न / डॉ. सुभाष कश्यप -- 32
6. भारत का संविधान और लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रश्न / डॉ. कविता दुल -- 36
7. मौलिक अधिकार : विकसित होती नव संकल्पनाएँ / डॉ. निरूपमा अशोक -- 41
8. मानव अधिकारों का संवैधानिक आधार / प्रो. (डॉ.) शिवदत्त शर्मा -- 45
9. भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ तक सफलीभूत? / डॉ. सुदर्शन वर्मा -- 54
10. समानता का अधिकार : लक्ष्य से कोसों दूर / डॉ. साधना गुप्ता -- 69
11. भारत के संविधान में निजता का अधिकार : संदर्भ जस्टिस के. पुत्तुस्वामी बनाम भारत संघ / प्रो. विभा त्रिपाठी -- 76
12. संविधान में नीति-निदेशक तत्वों का औचित्य / सन्तोष खन्ना -- 82
13. भारत में सामाजिक न्याय की आधुनिक स्थिति : संविधान के सात दशक के परिप्रेक्ष्य में एक विश्लेषण / देवनारायण मीणा -- 93
14. भारतीय संविधान के सत्तर साल और जनजातीय भारत / डॉ. आलोक चांटिया -- 102
15. भारत का संविधान : एक मूल्यांकन / डॉ. विदुषी शर्मा -- 110
16. भारत का संविधान श्रमिकों के अधिकार के रू-ब-रू / डॉ. राजेंद्र वर्मा एवं डॉ. भूमिका शर्मा -- 117
17. संवैधानिक प्रावधानों का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर प्रभाव / शैफाली गौतम -- 121
18. अनुच्छेद 370 के बदलते प्रतिमान / सन्तोष खन्ना -- 126
19. स्वास्थ्य मौलिक अधिकार हो / संतोष बंसल -- 143

20.	भारत के संविधान के सात दशकों में कार्यान्वयन / <b>अनुराधा</b>	-- 149
21.	भारत के संविधान में संघ की न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रश्न / <b>डॉ. प्रेम लता</b>	-- 153
22.	अनुच्छेद 300 एवं राज्य का अपकृत्यात्मक दायित्व / <b>सत्यम चंसोरिया</b>	-- 155
23.	संविधान की कसौटी पर विधि और न्यायाधीश / <b>प्रो. देवदत्त शर्मा</b>	-- 161
24.	संवैधानिक राजभाषाई उपबंध और हमारी मानसिकता : एक नैतिक मूल्यांकन / <b>डॉ. वेदप्रकाश</b>	-- 169
25.	अनुशासन पर्व है राष्ट्रीय आपातकाल / <b>डॉ. अशोक कुमार अवस्थी</b>	-- 177
26.	उच्चतम न्यायालय और कॉलेजियम पद्धति / <b>सन्तोष खन्ना</b>	-- 181
27.	लोकतंत्र का तीसरा आयाम : पंचायती राज संस्थाएँ / <b>डॉ. उषा देव</b>	-- 186
28.	मृत्यु दंड का औचित्य : भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में / <b>शुभम चंसोरिया</b>	-- 197
29.	भारत का संविधान : कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव / <b>सन्तोष खन्ना</b>	-- 207
30.	Revisiting Article 370 / <b>Dr. Subhash C. Kashyap</b>	-- 209
31.	Freedom of Press in India : An Overview / <b>Dr. Jaishree Jaiswal</b>	-- 212
32.	Constitution of India : New Dimensions Created by Supreme Court / <b>Anjali Dixit</b>	-- 224
33.	Constitution of India : Its Mechanism / <b>Shivangi Pawar</b>	-- 233

**(iv) : :** भारत का संविधान : वर्तमान परिप्रेक्ष्य

## लेखक मंडल

**सन्तोष खन्ना** : प्रधान संपादक, 'महिला विधि भारती', त्रैमासिक पत्रिका। संसदीय अधिकारी (सेवा-निवृत्त) एवं सदस्य (सेवा-निवृत्त) जिला उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली।

**रमेश चंद्र** : हिंदी सलाहकार, खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एवं उपनिदेशक (सेवा-निवृत्त) भारतीय मानक ब्यूरो, 46/22, गांधी नगर, गुरुग्राम-122001

**डॉ. प्रवेश सक्सेना** : पूर्व प्रोफेसर, जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

**डॉ. सुभाष कश्यप** : भारत के संविधान विशेषज्ञ एवं लोक सभा के पूर्व महासचिव।

**डॉ. कविता दुल** : एसोसिएट प्रोफेसर, विधि विभाग, महात्मा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय रोहतक, (हरियाणा)

**डॉ. निरुपमा अशोक** : पूर्व प्राचार्य, भगवानदीन आर्य कन्या महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश), **वर्तमान पता** : सी-819, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016

**प्रो. (डॉ.) शिवदत्त शर्मा** : प्रोफेसर, विधि विभाग, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

**डॉ. सुदर्शन वर्मा** : विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, विधिक अध्ययन विद्यापीठ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

**डॉ. साधना गुप्ता** : 'सह आचार्य', राज. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़ द्वारा : के.एल.गुप्ता 'एडवोकेट' मंगलपुरा टेक, झालावाड़ (राजस्थान)

**मोबाइल** : 9530350325, **Email id** : sadhanagupta0306.sg@gmail.com

**प्रो. विभा त्रिपाठी** : एसोसिएट प्रोफेसर, विधि संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय

**E-mail** : bibha.tripathi@bhu.ac.in, **मोबाइल** : 9451587252, 8004929733,

**देवनारायण मीणा** : शोधार्थी, विधि विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

**डॉ. आलोक चांटिया** : मानवशास्त्री/अध्यक्ष, अखिल भारतीय अधिकार संगठन, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत। **पता** : 12/119, इंदिरा नगर, लखनऊ-16

**डॉ. विदुषी शर्मा** : अकादेमिक काउंसलर, इग्नू, दिल्ली, **मोबाइल** : 9811702001

**Dr. Rajendra Verma** : Associate Professor, Department of Law, Himachal Pradesh University, Shimla

**Bhumika Sharma** : Research Scholar, PhD, Department of Law, Himachal Pradesh University, Shimla

**शैफाली गौतम** : शोधार्थी, परस्पर नगर (मेन) अन्नपूर्णा रोड़, इंदौर-452009

**Santosh Bansal** : A 1-7 Mianwali Nagar, Paschim Vihar, Delhi-110087

**Mobile** : 8860022613

**अनुराधा** : एल.एल.एम. छात्रा, आवास 96-ए, एक्सटेंशन-2, नांगलोई, दिल्ली-110041

**मोबाइल** : 9205170187

**डॉ. प्रेम लता** : सदस्य, उपभोक्ता नियम समिति, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार।  
पूर्व सदस्य, उपभोक्ता अदालत, नई दिल्ली।

**सत्यम चंसोरिया** : अधिवक्ता, भोपाल।

**प्रो. देवदत्त शर्मा** : एसोसिएट प्रोफेसर, (सेवा-निवृत्त) डी.ए.वी. पी.जी. कॉलेज, लखनऊ, (उ.प्र.)

**डॉ. वेदप्रकाश** : सहायक निदेशक (अनुसंधान) / संकाय सदस्य, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

**डॉ. अशोक कुमार अवस्थी** : विभागाध्यक्ष एवं डीन (सेवा-निवृत्त), विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, ई-मेल : **Prof. A. K. Awasthi** <prof.awasthi@gmail.com

**डॉ. उषा देव** : प्रतिष्ठित कहानीकार, एसोसिएट प्रोफेसर (सेवा-निवृत्त), माता सुंदरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

**शुभम चंसोरिया** : एल.एल.एम, छात्र, भोपाल

**Dr. Subhash C. Kashyap** : Constitutional Law specialist and former Secretary-General of Lok Sabha

**Dr. Jaishree Jaiswal** : H.O.D. Faculty of Law, Nehru Gram Bharati University, Prayagraj

**Anjali Dixit** : Principal in-charge, Shaheed Bhagat Singh Law Collge, Bithoor, Kanpur

**Shivangi Pawar** : Advocate, Rajasthan High Court

(vi) : : भारत का संविधान : वर्तमान परिप्रेक्ष्य

## संपादकीय

---

विधि भारती परिषद् की स्थापना 1993 में की गई थी और 'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका का प्रथम अंक वर्ष 1994 की अंतिम तिमाही में प्रकाशित हुआ था। तब से यह पत्रिका कई पड़ाव पार करती 25 वर्ष की सफल यात्रा कर चुकी है, एक अच्छी और स्तरीय पत्रिका का नियमित आधार पर प्रकाशन स्वयं में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसके माध्यम से देश के नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागृति के उन्मेष के साथ ही विधि और न्याय के क्षेत्र में हिंदी का एक नया पुख्ता मुह्यवरा विकसित हुआ है। अब तक 'महिला विधि भारती' पत्रिका के महत्त्वपूर्ण विषयों पर अनेक विशेषांक भी प्रकाशित किए जा चुके हैं, अतः यह स्वभाविक ही था कि पत्रिका का स्वर्ण जयंती अंक अर्थात् 100वें अंक को विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जाता।

भारत का संविधान देश की सर्वोच्च विधि है जिसके अंतर्गत शासन-प्रशासन के लिए कायदे-कानून बना कर देश विकास के क्षितिज विजित कर भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने की दिशा की ओर अग्रसर है। यह संविधान ही है जिसके माध्यम से देश के लोगों का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण किया जा रहा है। संपूर्ण भारत की संविधान के प्रति अडिग आस्था बनी हुई है, अतः समय के इस पड़ाव पर इस पक्ष पर विचार करना स्वाभाविक प्रतीत होता है कि क्या वह भारत जैसे विशाल देश की बढ़ती बेतहाशा जनसंख्या और यहाँ की वर्तमान सामाजिक विसंगतियों और जीवन की अन्य जटिल समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम हैं क्योंकि वर्तमान भारत में सर्वाधिक जनसंख्या युवा वर्ग की है जिनके स्वप्न, आशाएँ और आकांक्षाएँ पूर्ति के लिए छटपटा रही हैं।

ऐसे ही अनेक प्रश्नों और संदर्भों को ध्यान में रख कर इस संविधान विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है जिसके लिए देश-भर से विषय विशेषज्ञ-सुधीजन विद्वानों ने अपना अमूल्य योगदान देकर इस विशेषांक को समृद्ध किया है। उन सब के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ।

मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी है कि यह संविधान विशेषांक देश के विचारकों, अकादमिक जगत के विद्वानों, शोधार्थियों एवं सामान्य पाठक वर्ग के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा।

सभी के प्रति शुभकामनाओं सहित!

## विधि भारती परिषद्

### राष्ट्रीय विधि भारती पुस्तक पुरस्कार

वर्ष 2005 से विधि और न्याय के क्षेत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा हिंदी विधि लेखन को बढ़ावा देने के लिए विधि भारती परिषद् ने हिंदी विधि पुस्तकों पर 'राष्ट्रीय विधि भारती पुस्तक पुरस्कार' प्रारंभ किए थे। विधि पुस्तकों पर प्रथम पुरस्कार 7,100/- रुपए, द्वितीय पुरस्कार 5,100/- रुपए, तृतीय पुरस्कार 3,100/- रुपए है।

वर्ष 2019 का राष्ट्रीय विधि भारती पुस्तक पुरस्कार पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2017, 2018 एवं 2019 में प्रकाशित विधि पुस्तकों पर दिया जाएगा। विधि भारती पुस्तक पुरस्कार का निर्णय एक तीन सदस्यीय पुस्तक पुरस्कार निर्णायक मंडल द्वारा किया जाएगा जो अंतिम होगा। पुरस्कार विधि भारती परिषद् के एक भव्य समारोह में प्रदान किए जाएंगे।

#### विधि भारती परिषद का संक्षिप्त परिचय

विधि भारती की स्थापना 1992 में तथा उसका पंजीकरण 1993 में किया गया। वर्ष 1994 में उसकी त्रैमासिक द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेजी) पत्रिका 'महिला विधि भारती' का प्रकाशन आरंभ हुआ। पच्चीस वर्ष की अवधि में उसके 100-101 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। इस पत्रिका को दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी से सर्वोत्तम संपादन का दो बार पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।

#### पुरस्कार हेतु पुस्तकें भेजने की विधि

राष्ट्रीय विधि भारती पुस्तक पुरस्कार के लिए विचारार्थ हिंदी विधि पुस्तक भेजने के इच्छुक लेखक कृपया पुस्तक की तीन प्रतियों के साथ 500/- रुपए का बैंक ड्राफ्ट विधि भारती परिषद् के नाम से प्रेषित करें। लेखक पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित एक से अधिक पुस्तकों के लिए प्रविष्टियाँ भेज सकते हैं। पुरस्कार के विचारार्थ प्राप्त पुस्तकें किसी भी स्थिति में लौटाई नहीं जाएंगी।

विधि पुस्तकें भेजने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2020 होगी।

पुस्तकें भेजने का पता

#### विधि भारती परिषद्

बी.एच/48 (पूर्वी), शालीमार बाग, दिल्ली-110088

दूरभाष : 27491549, 45579335 मोबाइल : 9899651272, 9899651872

E-mail : vidhibharatiparishad@hotmail.com

Website : vidhibharatiparishad.in

(viii) : : भारत का संविधान : वर्तमान परिप्रेक्ष्य